Regarding Crypto Currency

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान भारत में बढ़ती क्रिप्टो करेंसी पूंजी योजना और इनके विनिमय की अनिवार्यता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । भारत में क्रिप्टो करेंसी धारकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है । वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप से क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है । लेकिन, विडंबना यह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 परसेंट टैक्स और 1 परसेंट टीडीएस वसूल कर रही है । अभी तक इसका कोई ठोस विनियमन नहीं किया गया और न ही कोई नियामक निकाय गठित किया गया है ।

महोदया, देश में कई क्रिप्टो पूंजी योजनाएं चल रही हैं, जहां आम जनता को उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगा जा रहा है । हाल में कई राज्यों में ऐसे घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, जहां निवेशकों की हजारों करोड़ रुपये की पूंजी लूटी गई है ।

महोदया, चूंकि क्रिप्टो करेंसी का लेने-देन विकेंद्रित ढंग से होता है, इसलिए निवेशकों के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा या शिकायत का निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं है । मेरे क्षेत्र में दो साल पहले जलसा-जून क्रिप्टो में शानदार आमदनी का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई । इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को ठगा गया ।

महोदया, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर और जापान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए सख्त कानून बनाये हैं । अमेरिका में सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन और यूरोप में मार्केटिंग क्रिप्टो एसेट जैसे नियामक निकाय इस पर निगरानी करते हैं ।

सरकार जब क्रिप्टो करेंसी से टैक्स वसूल कर रही है, तो इसका विनियमन क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार जल्दी ही एंटी मनी लांड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने वाला एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करेगी? क्या सरकार क्रिप्टो पूंजी योजना पर रोक लगाने ? (व्यवधान)